हरिभूमि
कोरबा भूमि - Page 4
14 July 2025

आदिवासी परिवार की शिकायत पर 6 अभियुक्तों की ज़मानत याचिका ख़ारिज

हरिभूमि न्यूज ⏭ कोरबा

पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित दिवंगत भैराराम की आत्महत्या के मामले में दर्ज अपराध में नामजद 6 आरोपी विनोद कुमार अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, दिलीप टिग्गा, चतुरगुण यादव, राजेन्द्र मिंज, धरमपाल कौशिक की अग्रिम/नियमित जमानत याचिकाएँ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने

खास बात

- मामला भूमि विवाद से आत्महत्या तक का

ख़ारिज कर दी हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की एकल पीठ ने पारित किया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता जुबारो बाई की भूमि को षड्यंत्रपूर्वक शिवराम के नाम पर विक्रय कर दिया गया, जिसमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मृतक भैराराम (जुबारो बाई के पति) को बार-बार धमकाकर और जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने 21-22 अप्रैल की दरमियानी रात को आत्महत्या कर ली। प्रकरण में धारा 108, 3(5) बीएनएस एवं अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इससे पूर्व 23 अप्रैल को धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ अन्य आरोपी शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचल बलरामपुर-रामानुजगंज में एक नाम वर्षों से फुसफुसाहटों में गूंजता रहा विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ। जो कभी स्थानीय व्यापारी के रूप में जाना जाता था, अब उस पर आदिवासी जमीन हड़पने, कूटनीति, साजिश और यहां तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे संगीन आरोप हैं। एक पहाड़ी कोरवा महिला, जिसकी ज़मीन उसके पति भैराराम के नाम पर संयुक्त खाता दर्ज में थी। आदिवासी महिला को ज़मीन के दावों और दस्तावेजों की जटिलता समझना नहीं आता था। यही कमजोरी मग्गू सेठ जैसे चालाक ज़मींदारों के लिए ताकत बन गई। 18 नवंबर 2024 को बिना किसी पारिवारिक सहमति या भुगतान के, ज़मीन किसी शिवराम के नाम पंजीकृत करवा दी गई। ये रजिस्ट्री धोखाधड़ी और छल से करवाई गई थी। पीछे की डोर से कागज़ तैयार हुए, अंगूठे लगे और ज़मीन खिसक गई। बात यहां तक आकर नहीं रूकी बल्कि भैराराम को रोज़ाना धमकाना ये ज़मीन अब हमारी है भाग जा कहना, उसका पीछा करना, उसे ताने देना ये सब आरोपियों का रोज़ का खेल बन गया था। मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने भैराराम की आत्महत्या के मामले में दर्ज अपराध में नामजद 6 आरोपी विनोद कुमार अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, दिलीप टिग्गा, चतुरगुण यादव, राजेन्द्र मिंज, धरमपाल कौशिक की अग्रिम/नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की एकल पीठ ने पारित किया है।